



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Min. of HRD, Deptt. of Education, Govt. of India)

18 संस्थागत क्षेत्र/18-Institutional Area

शहीद जीत सिंह मार्ग /Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली-110016 /NEW DELHI – 110016

Tel : 2695168-249, 8860748880

EMAIL-mpquota@kvs.gov.in

Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No. 110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Spl.Disp./MP(REP)

दिनांक: 15.09.2020

The Principal  
Kendriya Vidyalaya,  
AURANGABAD

**विषय:** विशेष छूट पर आधारित प्रवेश हेतु माननीय सांसद SH. SUSHIL KUMAR SINGH द्वारा शिक्षा-सत्र 2020-21 के लिए के. वि. सं. कूपन सं0 75 में की गयी संस्तुति।

महोदय/ महोदया,

माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्रवेश को निम्नांकित नियमों के आधार पर अनुमोदित किया गया है:-

| S.N | Name of the Child | Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No. | Class | Name of KV |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1   | RAUNAK KUMAR      | AMIT KUMAR, MOB- 8340219371                                            | 2     | AURANGABAD |
| 10  | GAURAV KUMAR      | BABLU KUMAR, MOB-9265150269                                            | 8     | AURANGABAD |

This admission order is issued in cancellation of the Admission letter of even no. dated 10.08.2020 vide S.No. 1 AND 10, order no. 52L/2020-21 in r/o HARSH WARDHAN SINGH AND SAURAYA SONI on receipt of a letter dated 10.09.2020 from the Hon'ble MP.

**निर्देश:-**

- विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.09.2020 है।
- प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

*प्रिया ठाकुर*  
15/9/xx  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

- SH. SUSHIL KUMAR SINGH, माननीय सांसद सदस्य:- सादर सूचनार्थ।
- प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपायुक्त, के वि सं, BIHAR संभाग को सूचनार्थ। प्रवेश प्रक्रिया के अंत में कुल हुए प्रवेश की समेकित सूची भिजवानी आवश्यक है।

*8*